भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाएं

मीनाक्षी सिंह,

रिसर्च स्कॉलर, महिला अध्ययन संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोध सारांश

महिलाओं की खराब स्थिति पर बार–बार उठ रहे सवालों का सच जानने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की जिसने सन् 1974 में समानता की ओर (टूवर्ड्स इक्वालिटी) रिपोर्ट सरकार को सौंपी और यह स्वीकार किया कि हाँ जमीनी स्तर पर समाज में महिलाएं भेदभाव, उत्पीड़न का शिकार है। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जिसका परिणाम हुआ कि जो पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक सिर्फ कल्याणकारी योजनाएं थी। उन्होंने अपनी योजनाओं में महिलाओं का विशेषरूप से उल्लेख करना शुरू किया । अब महिलाओं की समाज में खराब स्थिति को सही करने के लिए उनके विकास हेतु योजनाएं बनने लगी । इन योजनाओं ने महिलाओं के विकास के लिए उनके सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित किया तथा वीमेंस कम्पोनेट प्लान की शुरूवात हुई। सबसे उल्लेखनीय जो बात थी वह यह हुई कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार एकल महिलाओं और महिला किसानों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

मुख्य शब्द– *पंचवर्षीय योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, महिला किसान, एकल महिलाएं, महिला विकास, शिक्षा*

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाएं

पंचवर्षीय योजनाएं केन्द्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, इनकी शुरूवात सन 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू करते हुए की गई थी। भारत में यह योजना सन् 1951 में प्रारम्भ की गई। सन् 1974 में (टूवर्डस इक्वालिटी) रिपोर्ट जब सरकार को सौंपी गई तब यह बात निकल कर आई कि समाज में महिलाएं बड़े स्तर पर भेदभाव की शिकार हैं। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय थी। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के प्रयास शुरू किए। यह उल्लेखनीय है कि सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना ने क्रमवार महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण पर जोर दिया था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956)

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा कल्याण कार्यक्रमों को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। जहां तक महिलाओं के मुद्दों की बात है यह मुख्यतः कल्याण की दिशा में ही कार्यरत था । राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं के कार्यक्रमों को सामुदायिक विकास खण्ड के द्वारा क्रियान्वित किया गया था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–1961)

इस योजना में कल्याण परक योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर महिला मण्डलों/महिला समूहों के संगठन का प्रयास किया गया था।

तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम पंचवर्षीय योजनाएं (1961–1979)

इसमें महिलाओं की शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान किया गया था। यह वही अवधि है जब (टूवर्डस इक्वलिटी) रिपोर्ट चर्चा में थी। इस योजना में उन्नत मातृत्व एवं बाल्य स्वास्थ्य सेवाओं एवं बच्चों के लिए पूरक आहार को मापने के लिए धात्री माताओं एवं सम्भावित माताओं को शामिल किया गया था।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–1985)

इस योजना में महिलाओं के लिए विशेषकर रोजगार आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल महिलाओं के लिए बेहतरीन कानून व्यवस्था की रचना, स्वस्थ्य संस्थागत वातावरण की बात की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाएं और विकास पर एक नए अध्याय की शुरूवात हुई थी। यह महिलाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990)

महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने तथा महिलाओं को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ विकास कार्यक्रम चलता रहा। महिलाओं के प्रत्यक्ष लाभ को बढ़ाने के साथ पूर्ण शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के द्वारा कुशल और अकुशल रोजगार देने पर जोर दिया गया। वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। इस योजना में शिक्षा द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के एक कार्यक्रम के रूप में महिला समाख्या पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–1997)

केन्द्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू नही हो सकी 1990–91 तथा 1991–92 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में माना गया । आठवीं योजना अंततः 1992–1997 की अवधि के लिए तैयार की गई थी। इस योजना ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास से प्राप्त होने वाले लाभों से महिलाएं वंचित ना हों। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन तीन मुख्य क्षेत्रों में महिलाओं के लाभों की गति का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया गया था। महिलाएं सहभागी के रूप में कार्य करने के योग्य बनाई गयी थी। और स्थानीय निकायो की सदस्यता में आरक्षण के साथ विकास प्रक्रिया में सहभागी थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना ने इस तरह महिला विकास से महिला सशक्तिकरण पर एक निशचित परिवर्तन को चिन्हित किया।

नौवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

इस योजना ने सर्वप्रथम सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य के रूप में महिला सशक्तिकरण को मान्यता प्रदान की ।इस योजना के प्रस्ताव ने एक अनुकूल माहौल बनाया जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से पुरूषों के साथ एक सहभागी की तरह घर के अन्दर और बाहर दोंनों स्थानों पर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। समय–समय पर महिलाओं की स्थिति की उन्नति के प्रभाव और कार्यान्वयन को मापने के लिए जेन्डर डिवलपमेंट इण्डेक्स पर भी बल दिया। यह उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर महिला घटक योजना/वीमेंस कम्पोनेंट प्लान की शुरूआत की गई जिसने सभी क्षेत्र के विकास से प्राप्त निधियों/लाभों का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को प्रदान करने का वर्णन किया। तथापि वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण

वर्ष के रूप में मनाया गया। इस योजना में महिलाओं की सशक्तिकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लड़कियों को महाविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकार करना था। स्नातक स्तर से नीचे के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। नवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं को सशक्त करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और विकास करना है। पुरूषों के समान महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में भागीदार बनाने के लिए महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 1/3 पदों पर आरक्षण प्रदान किया गया। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने की योजना प्रारम्भ की गई तथा महिला उद्यमियों के लिए महिला उद्यमी विकास बैंक का गठन किया गया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)

दसवीं योजना ने महिला घटक योजना एवं जेंडर बजटिंग पर जोर दिया जो महिला हितों की सुरक्षा के लिए विश्वस्तर पर एक दूसरे के पूरक है। इस योजना को उच्च जेंडर समानता के लक्ष्यों और संसाधनों, सेवाओं तथा सूचना में महिलाओं की अपेक्षित पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित ढ़ंग से व्यक्त किया गया था। इसके अलावा भारत में महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध अत्याचारों के उन्मूलन के लिए विभिन्न उपाय किये गये थे, जो निम्नलिखित है–

1. महिला थानों, परिवार न्यायालयों एवं न्यायिक अनुदान केन्द्रों की स्थापना।
2. महिलाओं के अधिकार और कानूनी शिक्षा आदि पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।

ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–2012)

यह योजना समानता जेंडर, सशक्तिकरण के लिए विशेष मापदण्डों के उत्तरदायित्व को लेने का प्रस्ताव करता है। इस योजना के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग और जेंडर को मुख्याधारा में लाने का प्रयास करेगा। यह दिलचस्प है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक संसाधनों का जेंडर संवेदनशील आवंटन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नारीवादी अर्थशास्त्री समिति का गठन कर एक अद्वितीय प्रयास किया है। इस कदम से आशा है कि यह जेंडर समानता और समावेशी विकास को बढ़ायेगा।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)

इस योजना का शीर्षक तेज शास्वत तथा अधिक समावेशी विकास है। भारत सरकार की बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने विकास दर 8.2 प्रतिशत पर सुनिश्चित किया किन्तु 12 दिसम्बर 2012 को नेशनल डेवलपमेंट कांउसिल ने इस योजना के लिए 08 प्रतिशत विकास दर अनुमोदित किया। योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत एकल महिलाओं विशेषतः वह जो अपनी स्वेच्छा से एकल है, के लिए विशेष व्यवस्था पर बल दिया। केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत एकल महिला संघों को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने का प्रस्ताव दिया है। कम आय वाली एकल महिलाएं असुरक्षित एवं पितृसत्तात्मक संरचनाओं की जो उन्हें उत्तराधिकार और अन्य अधिकारों से वंचित करता है कि शिकार है।

कृषि एवं पशुपालन में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने नीतियों को बनाते समय महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं का ख्याल रखने की बात की। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

का एक उप–घटक है, को 2010–2011 में शुरू किया गया। इस परियोजना में केन्द्र और राज्य सरकार के खर्च का अनुपात दर 75:25 है। यह कृषि में एक व्यवस्थित निवेश के द्वारा महिलाओं की सहभागिता एवं उत्पादन को बढ़ाने तथा कृषि आधारित ग्रामीण महिलाओं की जीविका को बढ़ावा देने के साथ उसकों बनाए रखने के जरिये कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विचार करता है। यह बात उल्लेखनीय है कि समता को सम्बोधित नही किया गया था।

निष्कर्ष

छठी पंचवर्षीय योजना से पहले महिलाओं के हित या पक्ष में कोई प्रावधान नही था। तथापि, सातवीं और आठवीं योजना ने महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण पर जोर दिया। नवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना ने महिला घटक योजनाओं पर जोर दिया। ग्यारहवीं योजना में नारीवादी अर्थशास्त्री समिति का गठन कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ग्यारहवीं और बारहवीं योजना में देश की उन्नति के लिए महिलाओं को विकास प्रक्रिया में अवश्य शामिल किये जाने पर जोर दिया गया। वर्ष 1974 में (टूवर्ड्स इक्वालिटी) रिपोर्ट ने महिलाओं के प्रति सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखें। महिलाओं को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में देखा गया था।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार में आरक्षण कोटा प्रदान करने के द्वारा एकल महिलाओं की स्थिति पर विचार किया। कृषि कार्यों में लगी हुई महिलाओं और उनकी आजीविका पर ध्यान दिया गया साथ ही इसके लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना शुरू की गई। समावेशी विकास में महिलाओं का समावेश तभी संभव है जब समावेशी लोकतंत्र एक वास्तविकता हो न कि एक मिथक। समावेशी लोकतंत्र राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के असमान वितरण एवं उन संस्थागत ढाचों का जो उन्हें उत्पन्न करते है का अन्त करता है। योजनाओं का निमार्ण समाज में महिलाओं की भेदभाव पूर्वक स्थिति, गरीबी एवं जातिगत भेदभावों को समाप्त करने के लिए होना चाहिए।

सन्दर्भ

1. Planning Commission, Government of India of India: Five Year Plans Planning commission.nic.in 2012-03-17
2. https://www.Researchgate.net-women Empowerment in the Five Year Plans of India.
3. 12th Five Year plan-https://wed.nic.in
4. https://niti.gov.in-XII Five Year Plan report of the working group on women,s agency Empowerment.

Copyright © 2017 *Meenakshi Singh*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.